

फर्द अहकाम

न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड  
आयुक्त बनाम सुभाष चन्द्र

केस संख्या .....21/2026

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	7-4-26	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी नगर परिषद कोटपूतली द्वारा जाहिर किया गया कि ग्राम पंचायत रामसिंह पुरा को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर नगर परिषद कोटपूतली में समायोजित किया जा चुका है इस कारण ग्राम पंचायत रामसिंह पुरा स्थित आबादी भूमि के समस्त अधिकार प्रार्थी नगर परिषद कोटपूतली को प्राप्त हो गये तथा उनमें समायोजित हो चुके हैं। उनके द्वारा पूर्ववृत्ति ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों को विधि विरुद्ध जारी किये जाने के आधार पर यह याचिका प्रस्तुत की है। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा 15 अप्रैल 2021 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान नगरपालिक अधिनियम 2009 में नई धारा 73 बी जोड़ी गई है। जिसके द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय को यदि पट्टे नियम विरुद्ध जारी किये गये हैं तो संबंधित स्थानीय निकाय को उक्त पट्टों को निरस्त करने का अधिकार दिया गया है। स्वयं प्रार्थी नगर परिषद कोटपूतली द्वारा ग्राम पंचायत रामसिंह पुरा के स्वयं में समायोजित होने तथा उक्त ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र बाबत स्वयं को समस्त अधिकार होना जाहिर किया गया है। जिस से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रामसिंह पुरा के नगर परिषद कोटपूतली में मर्ज होने के पश्चात धारा 73 बी नगर पालिक अधिनियम के अन्तर्गत नियम विरुद्ध पट्टे को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नगर परिषद कोटपूतली में निहित है। इस कारण क्षेत्राधिकार के अभाव में हस्तगत याचिका खारीज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर है।</p>	